पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 09 एवं एनबीडब्ल्यू में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 12.03.2023

दिनांक 11/12-03-2023 को रात्रि थाना आलमबाग 01, दुबग्गा 01, गाजीपुर 01, पारा 01, ठाकुरगंज 03, पी.जी.आई. 02 एवं एनबीडब्लू में थाना इटौंजा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, इस प्रकार वांछित में कुल 09 एवं एनबीडब्ल्यू में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना सुशान्त गोल्फ सिटीः- दिनांक 12-03-2023 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी द्वारा बताया गया कि वादी श्री शिवेन्द्र मणि त्रिपाठी पुत्र कमलेश मणि त्रिपाठी निवासी पटेलनगर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ ने थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर सूचना दिया कि दिनांक 10-03-2023 को समय करीब 11 बजे रात्रि में संजय हिरवानी निवासी नई बस्ती नीलमथा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ ने फोन कर वादी को हरिहरपुर द्विवेदी अस्पताल के पास बुलाया कि जो भी रूपयो का लेनदेन हो की बात कर ली जाए। वादी जब बताए गए स्थान पर पहुँचा तो विपक्षीगण संजय हिरवानी अपने साथी अजय रावत, शिवम कटियार, विशाल उर्फ पोका पुत्रगण अज्ञात ने वादी को घेरकर गाली-गलौज करते हुए बुरी तरह मारपीटा जिससे वादी का सिर फट गया, विपक्षीगण वादी को जान माल की धमकी देते हुए कहा दुबारा हिसाब की बात मत करना और मौके से भाग गये। इसके बाद वादी बेहोश हो गया। **इस सूचना पर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर मु0अ0सं0 140/2023 धारा 323/504/506/308 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री अमित कुमार द्वारा की जा रही है।**

इटौंजा-दिनांक 12-03-2023 को थाना इटौंजा द्वारा बताया गया कि वादी श्री रामकरन पुत्र स्व0 रामभरोसे निवासी ग्राम मोहरैया थाना इटौजा जनपद लखनऊ ने थाना इटौंजा पर सूचना दिया कि दिनांक 10.03.2023 को समय करीब 04.30 बजे सांय विपक्षी सत्यनाम पुत्र स्व0 रामभरोसे, महेश प्रसाद पुत्र स्व0 रामभरोसे निवासी उपरोक्त ने वादी के घर पुरानी रंजिश के चलते लाठी, कुल्हाड़ी लेकर चढ़ आये और वादी की पत्नी शान्ति देवी व पुत्री सावानी को खींचकर घर बाहर निकाल कर द्वार पर मारे-पीटे जिससे उसके सिर पर गम्भीर चोटें आई है, वादी का पुत्र अनुरूद्ध को घर में घुसकर कुल्हाड़ी से वार किया जिससे वादी का पुत्र बेहोश हो गया। विपक्षीगण वादी के पुत्र अनुरूद्ध को मृत समझकर गाली गलौज व धमकी देते हुए मौके से भाग गए। वादी को खेत से वापस आने पर इस घटना की जानकारी हुई। **इस सूचना पर थाना इटौंजा पर मु0अ0सं0 43/2023 धारा 323/504/506/452/308 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री शिव सिंह यादव द्वारा की जा रही है।**

गोसाईगंज- दिनांक 12-03-2023 को थाना गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि श्री शिवम वर्मा पुत्र स्व0 दिनेश वर्मा निवासी ग्राम रज्जाकपुर शिवलर थाना गोसाईगंज लखनऊ ने थाना गोसाईगंज पर सूचना दिया कि उसके पिता दिनेश वर्मा उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र शत्रोहन लाल निवासी उपरोक्त दिनांक 11.03.2023 को उसके मौसा के पुत्र की बारात में गये थे वहां उनकी किसी से कहा सुनी हो गई तो उसने, उसके पिता दिनेश वर्मा के सिर पर हेलमेट मार दिया। यह सूचना उसको उसके पिता दिनेश वर्मा ने फोन पर दिया और कहा वह वापस आ रहे है, उन्हे गोसाईगंज बस स्टाप से ले जाओ। शिवम वर्मा अपने पिता को गोसाईगंज बस स्टाप से घर ले आया तो उसके पिता दिनेश वर्मा ने कहा खेत में जानवर फसल नुकसान करते है तो वह अपने पिता को खेत पर छोड़कर घर वापिस आ गया और जब वह सुबह अपने पिता के लिए चाय नाश्ता लेकर खेत आया तो देखा उसके पिता दिनेश वर्मा उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र शत्रोहन लाल निवासी उपरोक्त मृत अवस्था खेत के बाहर पड़े है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री गौरीशंकर यादव मो0नं0 8433075501 द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**